कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट (थाना चौक)

दिनांक-26.09.2021 को थाना पुलिस चौक द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम के निर्माणाधीन दुकानों के आवंटन के नाम पर फेसबुक/सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन देने वाले 02 जालसाज गिरफ्तार

1. सम्बन्धित थाने का नाम- **थाना चौक, कमिश्नरेट वाराणसी**
2. मु0अ0सं0- 79/2021 धारा 420/467/468/471/120बी भा0द0वि0 व 66 डी आई0टी0 एक्ट
3. घटना दिनांक- 23.09.2021 समय अदम तहरीर बजे
4. सूचना दिनांक- **23.09.2021 समय 23.50 बजे**
5. घटना स्थल का विधिवत विवरण- **थाना चौक परिसर, कमिश्नरेट वाराणसी**
6. सूचनाकर्ता/वादी का नाम व पता- **करमेन्द्र कुमार तहसीलदार पता श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद, वाराणसी**
7. गिरफ्तार अभियुक्त-

   1.शशिकान्त चौरसिया पुत्र रामप्यारे प्रसाद चौरसिया निवासी डी 51/128 सी सूरजकुण्ड पानदरिबा औरंगाबाद थाना लक्सा वाराणसी

   2.रत्नशेखर पुत्र अशोक कुमार सिंह निवासी ए 182 विश्वनाथपुरी नासिरपुर सुसुवाही थाना चितईपुर वाराणसी
8. गिरफ्तारी का दिनांक व समय: **26.09.2021 समय 10.05 बजे**
9. गिरफ्तारी स्थल- **थाना चौक परिसर, कमिश्नरेट वाराणसी**
10. माल बरामदगी का विवरण – 02 अदद एण्ड्रायड मोबाइल फोन (रियल मी फोन व वीवो फोन)
11. गिरफ्तारी टीम- प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह थाना दशाश्वमेध मय हमराह हे0का0 भरत यादव, म0का0 सपना शर्मा थाना दशाश्वमेध व उ0नि0 रामबदन शुक्ल थाना प्रभारी चौक मय हमराह का0 सुनील कुमार यादव, रि0का0 बृजेश प्रताप थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी
12. **घटना का विवरण-** दिनांक 23.09.2021 वादी करमेन्द्र कुमार तहसीलदार पता श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद, वाराणसी ने सूचना दिया कि अभियुक्त शशिकान्त चौरसिया सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेशबुक/व्हाट्सअप पर धोखाधड़ी से विश्वनाथ कारिडोर में दुकान आंवटन का कुटरचित विज्ञापन देने तथा कुटरचित प्रमाण पत्र प्रकाशित कर वायरल कर रहा है। आवेदक कमरेन्द्र कुमार की सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 79/2021 धारा 420/467/468/471/120बी भा0द0वि0 व 66 डी आई0टी0 एक्ट बनाम शशिकान्त चौरसिया पंजीकृत होकर विवेचना प्रभारी निरीक्षक दशाश्वमेध कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा प्रारम्भ किया गया । विवेचना के क्रम में SHO दशाश्वमेध श्री राजेश सिंह द्वारा नामित अभियुक्त शशिकान्त चौरसिया को थाना चौक पर बुलाकर पूछताछ किये जिसपर कुछ लोगों का नाम प्रकाश में आया। जिस पर विवेचना के क्रम में

पूछताछ हेतु प्रकाश में आये व्यक्ति रत्नशेखर पुत्र अशोक कुमार सिंह निवासी ए 182 विश्वनाथपुरी नासिरपुर सुसुवाही थाना चितईपुर वाराणसी को थाने पर बुलाया गया। जिस पर तमामी पूछताछ व अभिलेखीय साक्ष्यों बयान गवाहान व अन्य साक्ष्य संकलन से उपस्थित अभियुक्तगण 1. शशिकान्त चौरसिया व 2. रत्नशेखर उपरोक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार समय 10.05 बजे थाना चौक परिसर से उपरोक्त टीम द्वारा कारण बताते हुए गिरफ्तार किया गया तथा अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

14.गिरफ्तार अभियुक्तगण की फोटो

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त कार्यालय
काशी-जोन कमिश्नरेट वाराणसी